न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 139 / 2021

उनवान

शैतान पुत्र चांदमल जाति माली निवासी ग्राम राजगढ़, नसीराबाद
——वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. गीता पत्नि चांदमल,
2. मंगल पुत्र चादमल,
3. रामधन पुत्र चांदमल,
4. लादूराम पुत्र चांदमल समस्त जाति माली समस्त निवासीगण ग्राम राजगढ़, नसीराबाद।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार नसीराबाद, तहसील कार्यालय नसीराबाद
6. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा शाखा राजगढ

—— प्रतिवादीगण :– 5 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 5/8/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजगढ में स्थित निम्न आराजी वादी की पुश्तैनी / खातेदारी / काश्तकारी की है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
339 / 295	किता 29	5.02

उपरोक्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी का सही व वास्तविक नाम शैतान पुत्र चांमल के स्थान पर त्रुटिपूर्ण तरीके से सत्यमल पुत्र चांदमल अंकित कर दिया हहै। अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, सरपंच का प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, राशन कार्ड में वादी का वास्तविक नाम शैतान पुत्र चांदमल ही अंकित है। अतः वाद स्वीकार कर आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम शैतान पुत्र चांदमल अंकित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के [illegible] में राज[illegible] किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम राजगढ के खाता संख्या 339 किता 2[illegible] रकबा 5.02 की आराजी [illegible] अन्य व्यक्तियों की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी [illegible] वादी का नाम सत्यमल पु[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चांदमल अंकित है। आधार कार्ड, पहचान पत्र, सरपंच का प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, राशन कार्ड में वादी का वास्तविक नाम शैतान पुत्र चांदमल ही अंकित है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। वादी का नाम दुरूस्त करने से प्रतिवादी व अन्य सह खातेदार के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी का नाम सत्यमल उर्फ शैतान होना बताया गया है।

अतः ग्राम राजगढ के खाता संख्या 339 किता 29 रकबा 5.02 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त अराजी पर वादी का नाम सत्यमल उर्फ शैतान पुत्र चादंमल किये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शैतान बनाम गीता

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 139/2021
पेश करने की दिनांक – 16.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम राजगढ के खाता संख्या 339 किता 29 रकबा 5.02 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी का नाम सत्यमल उर्फ शैतान पुत्र चादंमल किये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 5 माह 8 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:14:38 IST
Reason: SelfAttested